

METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION



#OPERATIONCONVICTION

#AMETHIPOLICE



एडीजीसी श्री राम
प्रकाश तिवारी



पैरोकार हे०का०
दिवाकर सिंह

पुलिस महानिदेशक उ०प्र० महोदय द्वारा चलाये जा रहे “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करके एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्त को मा० न्यायालय द्वारा 10 माह का कठोर कारावास एवं 8000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

अपराध का विवरण:-

सादर अवगत कराना है कि वादी मुकदमा उ०नि० श्री नागेश्वर यादव थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी द्वारा दिनांक 16.01.2023 को समय 10:05 बजे अभियुक्त के कब्जे से 35 ग्राम अवैध स्मैक बरामद होने पर मु०अ०सं० 07/2023 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना शिवरतनगंज पर पंजीकृत कराया गया था।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस व मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करके माननीय न्यायालय रायबरेली में सशक्त प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी जिसके फलस्वरूप मा० न्यायालय एफ०टी०सी०-प्रथम रायबरेली द्वारा अभियुक्त को 10 माह का कठोर कारावास एवं 8,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

सजा का विवरण:-

- ☐ अभियुक्त को 10 माह का कठोर कारावास।
- ☐ अभियुक्त को 8,000 रुपये अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड ना अदा करने पर 15 दिन के अतिरिक्त कारावास।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता:-

नन्द कुमार उर्फ नान पुत्र गुरुचरन निवासी संजय नगर चौराहा सिंहपुर थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी।



@amethipolice



@amethipolice



सोशल मीडिया सेल अमेठी



#Amethipolice



Amethipolice